नियम एवं शर्ते

(1) भवनों के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, एल.आई.सी. परिसर, पंडरी, रायपुर से रू. 500/– नगद जमा कर प्राप्त कर सकेंगे ।

(2) आवेदन पत्र के साथ 10 प्रतिशत् पंजीयन राशि डी.डी. के माध्यम से जमा करना होगा। शेष शेष 90% राशि विक्रय विलेख निष्पादित करते समय एकमुश्त जमा किया जा सकेगा ।

(3) विज्ञापन में दर्शित अवधि में यदि आवेदकों की संख्या उपलब्ध दुकान/कार्यालय की संख्या से अधिक रही तो पंजीयन हेतु आवेदकों का चयन लाटरी पद्धति से किया जावेगा । लाटरी के पंजीयनकर्ता स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। जिन व्यक्तियों के नाम लाटरी में नहीं निकलता उनकी जमा पंजीयन राशि मूल रसीद प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के वापस की जावेंगी ।

(4) पंजीयन राशि भवन के मूल्य में समायोजित की जावेगी । पंजीयन स्वीकृत होने के बाद जमा राशि वापस चाहने पर मूल रसीद प्रस्तुत करने पर पंजीयन राशि का 10 % (दस प्रतिशत्) कटौती की जाकर शेष राशि लौटायी जावेगी तथा कोई भी ब्याज जमा राशि पर देय नहीं होगा।

(5) पंजीयन के पश्चात् भवन क्रमांक का आबंटन लाटरी पद्धति से किया जावेगा । भवन रिक्त होने की स्थिति में रू. 1500 अतिरिक्त शुल्क जमा कर भवन क्रमांक परिवर्तन किया जा सकता है । इस संबंध में अंतिम निर्णय निगम का होगा एवं कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

(6) स्थान/भवन 30 वर्षों की लीज पर आबंटित की जाएंगी । इसके पश्चात् लीज अवधि 30 वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है । लीज अवधि अधिकतम 90 वर्षों की रहेगी ।

(7) वस्त्र एवं इससे संबंधित उद्यमों के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(8) पंजीयन राशि तथा अन्य किश्ते राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे–आर्डर से प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी के नाम से रायपुर में देय एवं स्वीकार्य होगी ।

(9) भवन के पूर्ण होने पर आवेदित स्थान के अंतिम मूल्य का निर्धारण किया जाएगा । विज्ञापित मूल्य से अंतिम मूल्य के अंतर की अतिरिक्त राशि (यदि कोई हो) अंतिम किश्त में क्रेता द्वारा देय होगी ।

(10) प्रत्येक आबंटी को विद्युत कनेक्शन अपने व्यय पर लेना होगा ।

(11) आबंटितों को उन्हें आबंटित जगह में ही अपना व्यवसाय करना होगा । दुकानों के सामने कारीडोर पर स्थायी या अस्थायी अवरोध खड़ा करना वर्जित है ।

(12) आबंटित स्थान के अतिरिक्त किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन निगम की अनुमति के बिना वर्जित है, ऐसे निर्माण अवैध माने जाएंगे ।

(13) आवेदक द्वारा आंबटित स्थान का उपयोग केवल निर्दिष्ट कार्यो के लिए ही किया जाएगा । किसी भी प्रकार का अवैध व्यापार/व्यवसाय नहीं किया जाएगा ।

(14) निगम की शर्तों के अधीन ही आंबटित स्थान किसी अन्य को विक्रय अथवा सबलीज या अन्य प्रकार से हस्तांतरित की जा सकेगी । निगम की लिखित अनुमति के बिना भवन हस्तांतरण/विक्रय अवैध होगा ।

(15) दुकान/कार्यालय का हस्तांतरण/नामांकन निगम के नियमानुसार होगा ।

(16) नगर पालिका/निगम/केंद्रीय शासन/ राज्य शासन द्वारा निर्धारित अन्य सभी कर नियमानुसार क्रेता द्वारा देय होगा ।

(17) आबंटन होने के पश्चात् 5 वर्षो का एकमुश्त लीज रेंट, भूमि संधारण शुल्क व अन्य प्रभार निगम के नियमानुसार अग्रिम देय होगा।

(18) विक्रय विलेख/पंजीयन व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा । दुकान/कार्यालय का आधिपत्य विक्रय विलेख पंजीयन कराने के बाद ही दिया जाएगा ।

(19) आवेदन पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा । अस्वीकृत आवेदकों की पंजीयन राशि उन्हें बिना ब्याज के वापस की जाएगी ।

(20) भवन/स्थान, आबंटन/आधिपत्य की तिथि से 6 माह के अंदर/उद्योग चालू करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियमानुसार भवन/स्थान निरस्त किया जा सकता है ।

(21) अपरिहार्य कारणोंवश योजना को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में आवेदकों द्वारा जमा की गई पंजीयन राशि उन्हें बिना ब्याज के वापस की जाएगी ।

(22) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

मैने नियम तथा शर्ते पढ़ एवं समझ लिया है तथा मुझे मान्य है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ——————————

औद्योगिक पार्क, भनपुरी, रायपुर में निर्माणाधीन स्टैण्डर्ड डिजाईन फैक्ट्री बिल्डिंग भवन में उपलब्ध भवन/स्थानों का विक्रय मूल्य

(क्षेत्रफल वर्गमीटर में, दर रू. प्रति वर्गमीटर में)

स.क्र.	तल	स्थान का आकार	क्षेत्रफल	संख्या	विक्रय मूल्य (प्रत्येक)	पंजीयन राशि 10%
1	भू–तल	17.80x 21.40	380.90	03	रू. 66.66 लाख	रू. 6.65 लाख
		21.40x 21.40	457.95	02	रू. 80.14 लाख	रू. 8.00 लाख
2	प्रथम तल	17.80x 21.40	380.90	03	रू. 63.80 लाख	रू. 6.40 लाख
		21.40x 21.40	457.95	02	रू. 76.70 लाख	रू. 7.70 लाख
3	द्वितीय तल	14.30x 14.20	203.05	03	रू. 32.50 लाख	रू. 3.25 लाख
		10.70x 14.20	151.95	04	रू. 24.30 लाख	रू. 2.45 लाख
		21.50x 7.00	150.50	01	रू. 24.00 लाख	रू. 2.40 लाख
		17.90x 7.00	125.30	01	रू. 20.00 लाख	रू. 2.00 लाख
		14.30x 7.00	100.10	03	रू. 16.00 लाख	रू. 1.60 लाख
4	तृतीय तल	14.30x 14.20	203.05	03	रू. 31.00 लाख	रू. 3.10 लाख
		10.70x 14.20	151.95	04	रू. 23.20 लाख	रू. 2.35 लाख
		21.50x 7.00	150.50	01	रू. 22.90 लाख	रू. 2.30 लाख
		17.90x 7.00	125.30	01	रू. 19.10 लाख	रू. 1.90 लाख
		14.30x 7.00	100.10	03	रू. 15.30 लाख	रू. 1.55 लाख

टीप :–

1. इच्छुक व्यक्ति/संस्थान आवेदन पत्र रू. 500/– जमा कर दिनांक 03 अक्टूबर 2009, सायं 5.30 बजे तक निगम मुख्यालय से प्राप्त कर सकते हैं ।
2. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 12 अक्टूबर सायं 5.30 बजे तक है ।
3. विक्रय मूल्य का 10% पंजीयन राशि, प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. के नाम से रायपुर में देय, अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक/ पे आर्डर से स्वीकार की जाएगी । शेष 90% राशि विक्रय विलेख निष्पादन करते समय एकमुश्त जमा करना होगा ।
4. आवेदन केवल वस्त्र एवं संबंधित उद्योगों जैसे – सिले सिलाए वस्त्रों को तैयार करना, टेलरिंग, डिजाईनिंग, वस्त्र छपाई एवं पैकेजिंग आदि के लिए ही स्वीकार की जाएगी । अन्य व्यवसाय हेतु आवेदन स्वीकार नहीं होगा ।
5. विस्तृत नियम तथा शर्तें आवेदन पत्र के साथ संलग्न है तथा वेबसाईट **www.csidc.in** पर देखी जा सकती है।
6. भवन के पूर्ण होने पर आवेदित स्थान का अंतिम मूल्य का निर्धारण किया जाएगा । विज्ञप्ति मूल्य से अंतिम मूल्य के अंतर की राशि (यदि कोई हो) क्रेता द्वारा देय होगी ।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

संपदा प्रकोष्ठ
सी.एस.आई.डी.सी. रायपुर